महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांकः रू0वि0 / प0नि0का0 / 2021 / 1000-09

दिनांक 04.01.2022

विज्ञप्ति

विश्वविद्यालयों में चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) प्रस्तावित अध्योदश को समान रूप से लागू किये जाने के संबंध श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र सं0 ई-7443/03-जी0एस0/2019 (TC) दिनांक 26.11.2020 में दिये गये दिशा-निर्देश के कम में विश्वविद्यालय की मुख्य / सेमेस्टर / व्यवसायिक (वार्षिकी एवं सम / विषम सेमेस्टर) परीक्षा 2021 की उत्तर पुस्तिका / पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से असंतुष्ट छात्रों हेतु चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप द्वितीय चरण की तिथि छात्रहित के दृष्टिगत निम्नानुसार विस्तारित की जाती है-

आवेदन ऑनलाईन उपलब्ध होने की तिथि	:	05.01.2022
आवेदन ऑनलाईन आवेदन एवं शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	:	15.01.2022

चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) का दूसरा चरण

चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के लिए सभी पाठ्यकम के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क रू0 2500/- प्रति प्रश्नपत्र ऑनलाईन जमा करना होगा।

चुनौती मूल्यांकन की प्रकिया-

1. प्रत्येक प्रश्नपत्र के चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के हेतु कम से कम 04 (चार) विषय विशेषज्ञों / परीक्षकों की एक नामावली संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति महोदय को प्रस्तुत की जायेगा।
2. चुनौती मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उपर्युक्त नामावली में से नामित किन्हीं दो विषय विशेषज्ञो / परीक्षकों द्वारा करवाया जायेगा।
3. विषय विशेषज्ञ / परीक्षक को नामित करने का कार्य संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा इस संबंध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
4. चुनौती मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिका को विषय विशेषज्ञ / परीक्षक के सम्मुख उपस्थित करने से पहले मूल परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक / अंको का विवरण छिपा दिया जायेगा।
5. संबंधित उत्तर पुस्तिका की दो छाया प्रतियॉं तैयार करवायी जाएं और उन्हें नामित विषय विशेषज्ञों / परीक्षकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

चुनौती मूल्यांकन के प्राप्तांक के संबंध में-

1. दोनों विषय विशेषज्ञों / परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाना जायेगा।
2. यह औसत अन्तिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में देय होगा, चाहे वह मूल प्राप्तांकों से कम हो अथवा अधिक।
3. यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में 20% से अधिक का अन्तर होता है तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क रू0 2500/- में से रू0 1000/- की धनराशि काटकर शेष परीक्षार्थी को वापस कर दी जायेगा।

परीक्षा नियंत्रक

नोट- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जिन छात्र / छात्राओं द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कापी ई-मेल पर प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। ऐसे छात्र / छात्राये भी चुनौती मूल्यांकन के द्वितीय चरण में भाग ले सकते है।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्राचार्य / प्राचार्या समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय।
2. वित्त अधिकारी
3. कुलसचिव
4. सहायक कुलसचिव (परीक्षा)
5. डा0 अमित सिंह, मीडिया प्रभारी
6. प्रशासनिक अधिकारी (परीक्षा / गोपनीय)
7. निजी सचिव, कुलपति
8. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।
9. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट / केन्द्रीय कम्प्यूटर

परीक्षा नियंत्रक